127

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 727 – दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2007 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 159/2005–06 निगरानी

कैलाश पुत्र छोटया नागर ग्राम राधापुरा
तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– सीताराम पुत्र ओंकार नागर
कस्वा बड़ौदा तहसील श्योपुर

2– कमली पुत्री ओंकार नागर
ग्राम इन्द्रपुरा तहसीली श्योपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 16–1–2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 159/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–3–2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 30 ए/2001 में पारित आदेश दिनांक 10-3-2005 में ग्राम राधापुरा की भूमि सर्वे नंबर 57 रकबा 6 वीघा 8 विसवा तथा सर्वे क्रमांक 423 रकबा 10 वीघा के हिस्सा 1/2 पर दिये गये स्वत्वानुसार नामान्तरण की मॉग करते हुये नायव तहसीलदार बड़ौदा को आवेदन दिया । नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 4/2005-06 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 8-12-2005 से आवेदक को चस्पीदगी से नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष निगरानी क्रमांक 10/2005-06 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 7-8-2006 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 159/2005-06 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति है कि तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4/2005-06 अ-6 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 30 ए/2001 में पारित आदेश दिनांक 10-3-2005 के पालन में नामान्तरण कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पर से प्रारंभ हुआ है। जैसाकि अपर

आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 159/2005-06 में आदेश दिनांक 30-3-2007 से निर्णय लिया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं।यह भी विचार योग्य है कि यदि तहसीलदार व्दारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अभिलेख सुधार की कार्यवाही की जाती है तब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध राजस्व न्यायालयों में अपील/निगरानी न होकर व्यवहार न्यायालय के अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत होगी, जिसके कारण कलेक्टर श्योपुर व्दारा निगरानी कमांक 10/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 7-8-2006 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा निगरानी कमांक 159/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 में निकाले गये निष्कर्ष नियमानुसार है जिसके कारण चिचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा निगरानी कमांक 159/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर